संख्याः 3072/1–10–2008–12(73)/2008

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 10 जून, 2008

विषयः आपात कालीन पेयजल व्यवस्था हेतु धनांवटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी इलाहाबाद के पत्र संख्या 125/आपदा/पेयजल आपूर्ति–07–08 दिनांक 4 जून 2008 तथा पत्र संख्या 126/आपदा/पेयजल आपूर्ति–08–09 दिनांक 4 जून 2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 6 जून, 2008 में लिए गये निर्णय के कम में वर्ष 2007–08 में पेयजल की समस्या से प्रभावित ग्रामों में टैंकरों के माध्यम से की गयी जलापूर्ति के परिवहन पर व्यय हुई धनराशि के भुगतान हेतु रू0 5,25,000/–तथा वर्ष 2008–09 में पेयजल आपूर्ति के परिवहन मद मे रू0 6,00,000/–अर्थात कुल धनराशि रू0 11,25,000/–(रूपये ग्यारह लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष 2008–09 में पेयजल की समस्या से प्रभावित ग्राम [illegible] जलापूर्ति हेतु धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि यदि पूर्व में वर्षा हो जाती है तथा पेयजल की स्थिति सामान्य हो जाती है तो उस तिथि के पूर्व तक जलापूर्ति पर व्यय हुई धनराशि का भुगतान करते हुए अवशेष धनराशि शासन को तुरन्त समर्पित कर दी जाय।

4. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी0आई0–134/1–11–2007–46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत

E/Manoj/Allot.08

पीलू कित्त एवं लेखाधिकारी

नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693 / 1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3072(1) / 1–10–2008–12(73) / 2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग 6 / 11
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

E/Manoj/Allot.08